पंकज दीक्षित,भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी,किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक–20.09.2017 को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आयोजित एवं सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

<u>उपस्थिति</u>:: पंजी अनुसार।

बाढ़ के कारण प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत प्रावधानित मानदरों के अनुरूप शीघ्र सहायता उपलब्ध कराया जाना है जिसे युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाकर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को निम्न रूपेण साहाय्य उपलब्ध कराने की कार्रवाई जिला स्तर पर की जा रही है:–

<u>मुफ्त सहाय्य</u>::(Gratuitous relief) :– मुफ्त साहाय्य अंतर्गत प्रखंडवार पंचायतवार सभी बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य नकद एवं खाद्यान्न अनुदान मद में 6,000/– राशि सर्वेक्षण के आधार पर भुगतान करने का कार्य पूरा हो चुका है।

<u>अनुग्रह अनुदान</u>::बाढ़ के कारण जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है उनके निकटतम आश्रितों को साहाय्य मानदर के प्रावधान के अनुरूप शत–प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

<u>गृह क्षति अनुदान</u>– जिन परिवारों के मकान/झोपड़ी /पशुशेड बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हों ,उन मकानों का तुरंत सर्वेक्षण कर साहाय्य मानदर के अनुरूप राशि का भुगतान के लिए सभी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। सर्वेक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त गृहों की फोटोग्राफी गृह स्वामी के साथ तथा राजस्व कर्मचारी के साथ अनिवार्य रूप से करेंगे । अभिलेखों को विभागीय मार्गदर्शन के अनुसार पूर्ण करने के पश्चात राशि का आकलन कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे ताकि उसके आलोक में आवंटन की मांग की जा सके और आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान की कार्रवाई की जा सके। इसके लिए प्रखंडों के वरीय प्रभारी अपने स्तर पर समीक्षा कर सुनिश्चित हो लेंगे कि अभिलेख विभागीय निदेशानुसार सभी तरह से पूर्ण है।

<u>कृषि इनपुट अनुदान</u>– बाढ़ के कारण प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराया जाना है । कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण के संबंध में प्रक्रिया का पालन आपदा प्रबंधन विभाग के मार्ग दर्शन के आलोक में सुनिश्चित करेंगे बाढ़ के कारण जिन क्षेत्रों में फसल की क्षति हुई है उन क्षेत्रों में बाढ़ के कारण हुई फसल के रकबा का आकलन कर लिया जाय एवं साहाय्य मानदर के अनुरूप राशि का भुगतान किया जाय । फसल क्षति के मामले में सर्वेक्षण जी.ओ. टैगिंग के साथ करने एवं राशि भुगतान हेतु विभागीय पत्र में दिये गये मार्ग दर्शन का अक्षरशः पालन करने का निदेश दिया गया।

<u>पशु क्षति अनुदान</u>– बाढ़ के कारण पशुओं की मृत्यु संबंधी बहुत से सूचना है। इस हेतु सर्वेक्षण करवा कर मृत पशु हेतु अनुदान की राशि साहाय्य मानदर के अनुरूप इसके मालिक को भी भुगतान किया जाना है।बहुत से पशु मालिकों द्वारा बैंक ऋण के माध्यम से क्रय किया गया था जिसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

<u>राहत सामग्री</u>:: सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि फूड–पैकेट राहत सामग्री यथा:–चूड़ा,चीनी,नमक, सोयाबीन,चावल,पोलीथीन,मसूर दाल, आलू, खुली हल्दी /पॉच हल्दी/गुड़/चना जूट बैग बाढ़ राहत कार्य के लिए क्रय की गई थी। इस संबंध में आपूर्ति एवं वाणिज्य कर पदाधिकारी से प्राप्त Table में स्थानीय बाजार दर एवं जिला स्तर पर विभिन्न श्रोतो से प्राप्त दर का विश्लेषण किया गया तथा अधिकतम दर प्रति किलोग्राम/नग निम्नवत निर्धारित किया गया जो निम्नवत् है :–

क्र0	वस्तु / सामग्री का नाम	DDMA द्वारा अनुमोदित दर including G.S.T.
1	2	3
1	चूड़ा	28.50
2	चीनी	44.50
3	नमक	6.50
4	सोयाबिन	60.00
5	अरवा/ उसना चावल	27.00
6	पोलिथीन	MRP से दर 20% कम
7	दाल	56.00
8	चना	65.00
9	आलू	10.00
10	हल्दी	MRP से 25% कम
11	हल्दी खुली	95.00
12	गुड़	32.00
13	~~जूट~~-पॉलीबैग	MRP से 25% कम
14	जूट बैग	SFC दर पर

उपरोक्त सामग्रियाँ सर्वसम्मति से अधिकतम मूल्य पर क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई। ध्यातव्य है कि वास्तविक दर एवं निर्धारित दर में जो न्यूनतम होगा उसी पर भुगतान किया जायेगा।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन किशनगंज।	कार्यपालक अभियंता बाढ़ नि0 एवं जल निस्सरण किशनगंज	सिविल सर्जन किशनगंज	उप विकास आयुक्त किशनगंज	पुलिस अधीक्षक किशनगंज	अध्यक्ष जिला परिषद किशनगंज	जिला पदाधिकारी किशनगंज।

ज्ञापांक ...1137.../जि.आ.प्र.,किशनगंज, दिनांक ...06.../...10.../2017

प्रतिलिपि :: संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: किशनगंज जिलान्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप विकास आयुक्त,किशनगंज /अपर समाहर्त्ता,किशनगंज /निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन / अनुमंडल पदाधिकारी,किशनगंज / सभी प्रखंड के वरीय उप समाहर्त्ता किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
किशनगंज।

दिनांक 30.06.2017 अपराह्न 03:00बजे वर्ष 2017 में पॉलीथीन क्रय हेतु क्रय समिति की बैठक जिला पदाधिकारी महोदय किशनगंज की अध्यक्षता में की गई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए।

उपस्थिति :: **उपस्थिति पंजी के अनुसार ।**

बैठक की कार्यवाही ::

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। संभावित बाढ़ 2017 के मद्देनजर पॉलीथीन शीट्स क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई। निविदा में विभिन्न संस्थानों द्वारा भाग लिय गया जो निम्न प्रकार है :-

- बैग पॉली इन्टरनेशनल प्रा.लि.करनाल *(Bag Poly International Pvt.Ltd. Karnal)*
- ईस्ट हुगली पॉलीप्लास्ट प्रा. लि. वेस्ट बंगाल *(East Hoogly Polyplast Pvt.Ltd. West Bengal)*
- पारस इन्टर प्राईजेज पटना *(Paras Interprises Patna)*

उपस्थिति निविदादाता द्वारा बन्द बक्से में डाले गये तकनीकी निविदा सभी निविदादाता के समक्ष खोला गया। निविदा खोलने के उपरान्त पाया गया कि उनके सभी कागजात शर्तों के अनुसार सही था।

सभी निविदादाता के समक्ष वित्तीय निविदा खोली गई जिसमें तीनों निविदादाताओं की अहर्ता पूर्ण पायी गई।

उक्त तीनों निविदादाताओं का वित्तीय निविदा में पॉलीथीन शीट्स की दर अलग-अलग पाया गया जो, निम्नवत् है :-

- बैग पॉली इन्टरनेशनल प्रा.लि.करनाल *(Bag Poly International Pvt.Ltd. Karnal)- Rs 157.00 kg*
- ईस्ट हुगली पॉलीप्लास्ट प्रा. लि. वेस्ट बंगाल *(East Hoogly Polyplast Pvt.Ltd. West Bengal) Rs 153.25 kg*
- पारस इन्टर प्राईजेज पटना *(Paras Interprises Patna) Rs. 152.00 kg*

तीनों निविदादाताओं में से पारस इन्टर प्राईजेज पटना का दर सबसे न्यूनतम पाया गया। पारस इन्टरप्राईजेज, पटना द्वारा पूर्व के स्वीकृत दर 150रु/कि0ग्रा0 पर सहमति दी गयी। सर्वसम्मति से न्यूनतम निविदादाता को 150रु0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से पॉलीथीन शीट्स आपूर्ति करने हेतु चयन किया गया। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को क्रयादेश अपने स्तर से निर्गत करने को निदेशित किया गया।

सधन्यवाद

बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

सहायक आयुक्त वाणिज्य कर किशनगंज।	महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज।	वरीय कोषागार पदाधिकारी किशनगंज	अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज	प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन, किशनगंज	अपर समाहर्ता किशनगंज।	जिला पदाधिकारी किशनगंज।